

प्रश्न सं. [क. 3874]

परिशिष्ट- 3

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम 1989 के तहत वर्ष 2018 से वर्तमान तक हत्या के प्रकरणों
में पीड़ितों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की जानकारी

क	संभाग	क.	जिला	अनुकम्पा नियुक्ति की संख्या
1	2	3	4	5
1	चंबल	1	मुरैना	02
		2	भिण्ड	02
		3	श्योपुर	निरंक
2	ग्वालियर	4	ग्वालियर	निरंक
		5	दतिया	निरंक
		6	शिवपुरी	02
		7	गुना	निरंक
		8	अशोकनगर	निरंक
3	उज्जैन	9	उज्जैन	निरंक
		10	देवास	निरंक
		11	शाजापुर	निरंक
		12	आगर मालवा	निरंक
		13	रतलाम	06 (अस्थाई कमी)
		14	मन्दसौर	निरंक
		15	नीमच	निरंक
4	इन्दौर	16	इन्दौर	03
		17	धार	01
		18	झाबुआ	निरंक
		19	अलीराजपुर	निरंक
		20	खण्डवा	निरंक
		21	बुरहानपुर	निरंक
		22	खरगौन	निरंक
		23	बडवानी	निरंक
6	भोपाल	27	भोपाल	निरंक
		28	रायसेन	निरंक
		29	विदिशा	निरंक
		30	सीहोर	01
		31	राजगढ़	निरंक
5	नर्मदापुरम	24	नर्मदापुरम	01
		25	बैतूल	निरंक

संयुक्त संचालक
बिशेष प्रकोष्ठ नागरिक अधिकार संरक्षण
मध्य प्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

क	संभाग	क.	जिला	अनुकम्पा नियुक्ति की संख्या
1	2	3	4	5
		26	हरदा	निरंक
7	जबलपुर	32	जबलपुर	01
		33	कटनी	निरंक
		34	नरसिंहपुर	निरंक
		35	सिवनी	01
		36	मण्डला	निरंक
		37	डिण्डौरी	निरंक
		38	बालाघाट	निरंक
		39	छिन्दवाड़ा	07
8	सागर	40	सागर	02
		41	दमोह	निरंक
		42	पन्ना	निरंक
		43	छतरपुर	01
		44	टीकमगढ़	निरंक
		45	निवाडी	निरंक
9	रीवा	46	रीवा	03
		47	सतना	01
		48	सीधी	05
		49	सिंगरौली	01
10	शहडोल	50	शहडोल	निरंक
		51	अनूपपुर	निरंक
		52	उमरिया	01 (अस्थाई कर्मी)
	योग -			41

स्त्रोत - समस्त जिलों से प्राप्त जानकारी



संयुक्त संचालक
विशेष प्रकोष्ठ नागरिक अधिकार संरक्षण
मध्य प्रदेश


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग